Home >> Division >> Central Labour Service >> APAR of CLS Officers मुखपृष्ठ >> विभाग >> केन्द्रीय श्रम सेवा >> CLS अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

सं. A-28019/1/2013-CLS-I भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केंद्रीय श्रम सेवा के अधिकारियों के एसीआर/एपीएआर की उपलब्धता की स्थिति {/01/07/2013 तक}- के संबंध में।

इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या-A-28019/1/2011-सीएलएस-I दिनांक 03/10/2012 के संबंध में, वर्ष 2006-2007 के लिए केंद्रीय श्रम सेवा के अवर प्रशासन ग्रेड के अधिकारी और वरिष्ठ समय मान, किनष्ठ समय मान के एसीआर/एपीएआर की उपलब्धता की स्थिति 1 जुलाई 2013 तक अपडेट की गई है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सीएलएस -I अनुभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार संबंधित सभी जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई है. सभी केन्द्रीय श्रम सेवा अधिकारियों ने अपने एसीआर/एपीएआर की स्थिति की जाँच करने और उनके एसीआर/एपीएआर को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेत् संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से अनुरोध किया है।

2. इस संबंध में, सभी का ध्यान उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 21011/02/2009-(A) दिनांक 16/02/2009 में निहित डीओपी एवं टी के निर्देशों के लिए आमंत्रित किया गया हैं, प्रस्तुत एपीएआर समय पर तैयार करने और उचित रखरखाव के बारे में है, जिसमें एक समय अनुसूची एपीएआर को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है रिपोर्टिंग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी इसमें असफल होने पर वे एपीएआर में टिपण्णी दर्ज करने का अधिकार खो बैठते हैं। समूह 'A' के अधिकारियों के मामले में जो अनुबंधित समय के अंदर एपीएआर रिपोर्ट की समीक्षा/पहल करने में विफल हुए हैं, संबद्ध/अधीनस्थ अधिकारी के मामले में संगठन के प्रमुख/मुख्य सचिव संबंधित अधिकारियों के विवरण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उन अधिकारी को कॉल कर सकते हैं जो नियत दिनांक के अंतर्गत एपीएआर लिखने का

सार्वजनिक कर्तव्य और लिखित चेतावनी मिलने पर भी उचित औचित्य के अभाव में एपीएआर रिपोर्ट पूरा नहीं कर पाए हैं उन संबंधित दोषी अधिकारी के एपीएआर फोल्डर में एपीएआर रखा जाना चाहिए।

- 3. संलग्न कथन मे निर्दिष्ट स्थिति सुनिश्चित नहीं है और यह समय-समय पर सुधार करने का विषय है।
- 4. इस मंत्रालय की वेबसाइट पर भी यह सूची उपलब्ध है:-

www.labour.nic सीएलएस अधिकारी की एपीएआर 01/07/2013 के अनुसार सीएलएस अधिकारियों की एपीएआर स्थिति कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड विरष्ठ समय पैमाना कनिष्ठ समय पैमाना

5. अनुबंध में सूचीबद्ध उनके लंबित एसीआर/एपीएआर प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित अधिकारी से अनुबंधित समय के अंदर अपना रिपोर्ट इस मंत्रालय को भेजने का अनुरोध किया जाता है, इस कार्य में असफल होने पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ डीओपीएवंटी के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।

(राजेश कुमार) भारत सरकार के अवर सचिव दूरभाष सं. 11-23766937

प्रतिलिपि-

- (i) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में नियुक्त सभी केंद्रीय श्रम सेवा अधिकारी सख्त अनुपालन के लिए।
- (ii) डब्ल्यू.आई. अनुभाग, कार्यालय डीजीएलडब्ल्यू, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली
- (iii) एसई अनुभाग, कार्यालय सीएलसी(सी), नई दिल्ली
- (iv) सीपीडब्ल्यूडी के महा-निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली
- (v) महानिदेशक, आयुध फैक्टरी बोर्ड, एस.के. बोस मार्ग, कोलकाता

- (vi) श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय), डीजीक्यूए, 'जी' ब्लॉक, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011
- (vii) श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, 'ए' ब्लॉक, नई दिल्ली-110011
- (viii) श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय), सहायक जनरल की शाखा, आर्मी हेड क्वार्टर, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली-110011
- (ix) श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय), रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डीआरडीओ भवन, नई दिल्ली
- (x) मुद्रण निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
- (xi) भारत संचार निगम लिमिटेड, कार्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली
- (xii) अवर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।